

शांति भंग करने के 11 आरोपी गिरफ्तार :-

भंवर सिंह उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने श्री हनुमान पुत्र श्री कल्याण मीना उम्र 33 साल निवासी भदलाव थाना कोतवाली स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार रविन्द्र कुमार हैड कार्नि 362 थाना रवाजना डूंगर ने रामस्वरूप पुत्र ओंकार जाति बैरवा उम्र 55 साल निवासी काला कुआ थाना रवाजना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार पूरणचन्द उ०नि० थाना मलारना डूंगर ने 1.कैलाशचन्द पुत्र नारायण मीना उम्र 24 साल निवासी श्रीमा थाना लालसोट जिला दौसा 2. विष्णु पुत्र रामरख उम्र 23 साल निवासी डिगो थाना लालसोट जिला दौसा 3. मस्तराम पुत्र धर्मपाल उम्र 26 साल निवासी रामडी थाना मलारना डूंगर जिला समा 4. रोहताश पुत्र गंगासहाय उम्र 38 साल निवासी आपावास थाना नागलराजावतान जिला दौसा 5. संजयखान पुत्र इब्राहिम उम्र 21 साल निवासी गोठडा थाना खेडली जिला अलवर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार नत्थन सिंह हैड कार्नि 07 थाना रवाजना डूंगर ने 1-मनोज पुत्र नानकराम उम्र 20 साल 2-हंसराज पुत्र नानकराम उम्र 28 साल जाति बैरवा नि० भारजा का टापरा थाना रवाजना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार रामसहाय स०उ०नि० थाना सूरवाल ने गिराज पुत्र श्री हीरालाल जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी ग्राम दुब्बी बनास थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार जगदीश प्रसाद स०उ०नि० थाना चौथ का बरवाडा ने गिराज पुत्र श्री रामचन्द्रा जाति गुर्जर उम्र 52 साल निवासी आंदोली थाना चौथ का बरवाडा स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाने 03 आरोपी गिरफ्तार :-

बच्चु सिंह उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने राहुल राजपूत पुत्र श्री स्व० श्री ओमप्रकाश राजपूत उम्र 25 साल निवासी गान्धी नगर श्योपुर थाना कोतवाली श्योपुर म०प्र० श्री महावीर जाति जंगम उम्र 23 साल निवासी मोहन जी बगीची श्योपुर थाना कोतवाली श्योपुर म०प्र० को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार फजरुद्दीन हैड कार्नि० थाना मानटाउन ने श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मीठालाल जाति योगी नाथ उम्र 45 साल निवासी जयरामपुरा थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

स्थायी वारंटी गिरफ्तार :-

राजबबबरसिंह हैड कार्नि० 380 थाना खण्डार ने फरार स्थायी वारंटी भंवरसिंह पुत्र जोधराज जाति राजपूत निवासी दहलोद थाना खातौली जिला कोटा ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमान जे०एम० साहव खण्डार के द्वारा केस नं० 62/08 धारा 341,353,332 ता०हि० में स्थायी वारंट जारी किया गया था।

दर्ज मुकदमात का एक आरोपी गिरफ्तार :-

सहीराम स०उ०नि० थाना बामनवास ने दर्ज मुकदमात के आरोपी श्री मनोज पुत्र श्री हेमराज जाति मीना उम्र 20 साल निवासी शहजपुर बामनवास पटटीखुर्द थाना बामनवास को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध छाजूलाल पुत्र रामकिशोर जाति मीणा निवासी ढाणी शहजपुर थाना बामनवास ने दिनांक 21.12.2017 को बामनवास पर मु० नं० 262/17 धारा 143,323,,341,379 ता०हि० में दर्ज कराया था।